



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 422 राँची, सोमवार,

8 सितम्बर, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

संकल्प

1 अगस्त, 2025

संख्या- 18/विविध (07) 10/17-3146--

विषय:- उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त होने वाले राज्य निवासी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।

विभागीय संकल्प संख्या-1352, दिनांक-08.03.2019 द्वारा उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त होने वाले राज्य निवासी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में दस लाख (10,00,000.00) रुपये भुगतान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है ।

2. उक्त संकल्प में वीरगति प्राप्त होने वाले केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के आश्रित को परिभाषित नहीं किया गया है एवं सैनिक तथा आश्रित का राज्य के स्थानीय निवासी होने से संबंधित स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा विशेष अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा आधारित नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन करने की समय सीमा भी निर्धारित नहीं है। इन सभी बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने की भी आवश्यकता है। इस हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1352, दिनांक-08.03.2019 को संशोधित करने की आवश्यकता है।

3. अतः सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिया गया है-

(I) उग्रवादी/आतंकवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त होने वाले राज्य निवासी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में दस लाख (10,00,000.00) रुपये भुगतान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान पूर्ववत् जारी रहेगा।

(II) उग्रवादी/आतंकवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त होने वाले राज्य निवासी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित किया जाता है:-

(क) शहीद केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के परिवार के निम्नलिखित सदस्य आश्रित माने जायेंगे:-

- i. पत्नी/पति: यथा स्थिति।
- ii. पुत्र/दत्तक पुत्र/विधवा पुत्रवधु।
- iii. अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री / दत्तक पुत्री एवं विवाहित पुत्री/दत्तक पुत्री जो शहीद सैनिक/अग्निवीर की मृत्यु के समय उसपर पूर्णतया आश्रित रही हो।

(ख) शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में परिवार के निम्न सदस्य आश्रित माने जायेंगे :-

- i. माता/पिता
- ii. अविवाहित भाई/अविवाहित बहन

(ग) अनुकम्पा नियुक्ति/विशेष अनुग्रह अनुदान हेतु आश्रित का चयन निम्न अधिमान क्रम में हो सकता है:-

विवाहित होने की स्थिति में-

- i. पत्नी/पति: यथा स्थिति।
- ii. पुत्र/दत्तक पुत्र/विधवा पुत्रवधु।
- iii. अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री / दत्तक पुत्री एवं विवाहित पुत्री/दत्तक पुत्री जो शहीद सैनिक/अग्निवीर की मृत्यु के समय उसपर पूर्णतया आश्रित रही हों।

अविवाहित होने की स्थिति में :-

- i. माता/पिता
- ii. अविवाहित भाई / अविवाहित बहन।

(घ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा :-

अनुकम्पा के आधार पर किसी आश्रित की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र प्रस्तावित सेवा में प्रवेश के लिए नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुरूप होगा।

इसी प्रकार आश्रित की नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा वही रहेगी जो समय-समय पर सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो ।

यथावश्यक अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा क्षांत किया जा सकता है ।

(ङ०) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार :-

नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पद के भर्ती नियमावली में विहित नियुक्ति प्राधिकार अनुकम्पा के मामले में भी नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

(च) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद:-

i. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति आरक्षी के पद अथवा शैक्षणिक अर्हता के अनुसार सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के बाहर संबंधित जिला के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/उपायुक्त कार्यालय के रिक्त 7th pay level 1 अथवा level-2 के सभी प्रकार के पदों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।

महिला आश्रित के मामले में पद के संदर्भ में संबंधित आश्रित से प्राथमिकता प्राप्त कर तदनुसार नियुक्ति पर विचार किया जायेगा ।

ii. यदि उक्त पद के लिए लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जाती है, तो उसे क्षांत समझा जायेगा ।

(छ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता :-

i. शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता प्रस्तावित पद की नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुसार होगी। किन्तु अन्य वांछनीय अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रस्तावित पद पर इस शर्त के साथ की जायेगी, कि सेवा अवधि में वांछनीय अर्हता प्राप्त किये बिना उनकी सेवा की संपुष्टि नहीं होगी ।

यथावश्यक शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्षांत किया जा सकेगा, परन्तु शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता केवल 7th pay level -1 के पदों के लिए ही क्षांत किया जा सकेगा ।

(ज) नियुक्ति/विशेष अनुग्रह अनुदान पर विचार हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

- i. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र (प्रपत्र I दो प्रतियों में)
- ii. वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- iii. आवेदक का उम्र प्रमाण पत्र (केवल अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में)।
- iv. आवेदक का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (केवल अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में)।
- v. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से हो) (केवल अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में)।
- vi. अन्य आश्रित सदस्यों का अनापति शपथ पत्र (प्रपत्र-IV)।
- vii. आवेदक द्वारा भरण-पोषण संबंधी घोषणा पत्र (प्रपत्र-II, दो प्रतियों में)।
- viii. वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल तथा आश्रित का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
- ix. वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के किसी आश्रित को केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल अथवा केन्द्र सरकार से अनुकम्पा के आधार पर नौकरी नहीं प्रदान किये होने से संबंधित घोषणा पत्र (शपथ पत्र) तथा इस संदर्भ में सैनिक कल्याण पदाधिकारी का/अन्य पदाधिकारी का प्रमाण पत्र एवं अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन (केवल अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में)।
- X. केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल मुख्यालय द्वारा निर्गत Battle Casualty Certificate/Operational Casualty Certificate अथवा अन्य प्रमाण पत्र जिसमें अर्द्धसैनिक बल के वीरगति प्राप्त होने / शहीद होने अथवा कर्तव्य के दौरान हताहत होने का विस्तृत उल्लेख हो।
- xi. पारिवारिक सदस्यता सूची (अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत)।
- xii. वीरगति प्राप्त अर्द्धसैनिक बल की पत्नी / पति का पेशा (घटना की तिथि को) से संबंधित प्रतिवेदन / शपथ पत्र (केवल अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में)।

(झ) दावा अनुमान्य नहीं होना :-

- i. आवेदक, यदि पागल/दिवालिया घोषित हो या संज्ञेय अपराध के लिए न्यूनतम 6 माह का कारावास काट चुका हो या जिस पर न्यायालय में ऐसा मुकदमा विचाराधीन हो जिसमें मृत्यु दंड या 6 माह या इससे अधिक अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, तो उस आवेदक का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति तथा विशेष अनुग्रह अनुदान हेतु दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- ii. यदि शहीद अर्द्धसैनिक बल के मृत्यु की तिथि को पति/पत्नी सरकारी सेवा में हो तो अनुकम्पा नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी परंतु विशेष अनुग्रह अनुदान अनुमान्य होगा ।

(ञ) आवेदन करने की प्रक्रिया :-

दावेदार आश्रित द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र में संबंधित जिला के उपायुक्त/जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के पास दो प्रति में वीरगति प्राप्त अर्द्धसैनिक बल के हताहत होने (मृत्यु) की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर समर्पित किया जायेगा ।

(ट) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुकम्पा समिति :-

उपायुक्त के अध्यक्षता में जिला में सामान्य अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित जिला अनुकम्पा समिति ही इस मामले में भी नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगी ।

अनुकम्पा समिति यह देखेगी कि आवेदन पत्र विहित समय-सीमा के अन्तर्गत समर्पित किया गया हो। प्रस्तावित पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की भली भांति जांच कर संबंधित कार्यालय द्वारा प्रतिवेदित रिक्तियों के विरुद्ध उपकंडिका च (i) में उल्लेखित पद हेतु नियुक्ति की अनुशंसा अनुकम्पा समिति कर सकेगी ।

परन्तु यदि प्रस्तावित कार्यालय द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति योग्य पद की रिक्ति की सूचना शून्य दी गयी हो, तो जिला स्तर के अन्य कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में सदृश रिक्त पद, जो अन्य विभाग द्वारा प्रतिवेदित हो या जिला में स्थित अन्य कार्यालय से प्रतिवेदित हो, के विरुद्ध सम्बंधित अनुकम्पा समिति अनुशंसा कर सकेगी ।

(ठ) अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति:-

जिला अनुकम्पा समिति के अनुशंसा पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किया जायेगा ।

(ड) आरक्षण की दृष्टि से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का सामंजस:-

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति रिक्त पद के आरक्षण कोटि को ध्यान में रखे बिना की जा सकेगी, परन्तु नियुक्त व्यक्ति आरक्षण की दृष्टि से जिस कोटि का होगा उसी कोटि के पद के विरुद्ध नियुक्त माने जाएंगे और आरक्षण की दृष्टि से उसी कोटि में समायोजित होंगे ।

(ढ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना:-

सम्बद्ध अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के उपरांत गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुमोदन के बाद नियुक्ति पत्र नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा तथा यह शक्ति किसी भी स्थिति में अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकेगा ।

यह नियुक्ति विधिवत स्वीकृत पद के विरुद्ध नियमित तौर पर की जायेगी तथा नियुक्ति नियमावली में यथा विहित प्रावधान के आलोक में नियुक्त व्यक्ति की सेवा परीक्ष्यमान अवधि, विभागीय परीक्षा आदि जैसे दायित्वों के निर्वहन के बाद सम्पुष्ट की जा सकेगी ।

(ण) विशेष अनुग्रह अनुदान / अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया :-

(i) योग्य आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में विशेष अनुग्रह अनुदान / अनुकम्पा नियुक्ति हेतु उनके गृह जिला के उपायुक्त कार्यालय/जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा में आवेदन (अपेक्षित दस्तावेजों के साथ) जमा किया जायेगा ।

(ii) आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा मामले की जाँच संबंधित कार्यालय / जिला सैनिक कल्याण कार्यालय/अंचल कार्यालय के माध्यम से कराया जायेगा ।

यह कार्य आवेदन प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर करा लिया जायेगा ।

(iii) जाँचोपरांत योग्य पाये जाने पर जिला अनुकम्पा समिति में मामले को विचारार्थ रखा जायेगा। जिला अनुकम्पा समिति द्वारा मामले पर विचार कर विशेष अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा नियुक्ति हेतु यथोचित अनुशंसा किया जायेगा ।

यह कार्य आवेदन प्राप्त होने के 2 माह के अन्दर कर लिया जायेगा ।

(iv) अनुकम्पा समिति यह देखेगी कि आवेदन पत्र विहित समय-सीमा के अन्तर्गत समर्पित किया गया है, प्रस्तावित पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएँ आवेदक द्वारा पूर्ण किये जा रहे हैं तथा आवेदक इस योजना के तहत अनुकम्पा नियुक्ति/विशेष अनुग्रह अनुदान हेतु पात्र हैं। संतुष्ट होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान भुगतान / अनुकम्पा नियुक्ति (रिक्त पद के विरुद्ध) हेतु जिला अनुकम्पा समिति द्वारा स्पष्ट अनुशंसा किया जायेगा ।

(v) जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के उपरांत सभी आवश्यक दस्तावेजों / प्रतिवेदनों के साथ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह कार्य आवेदन प्राप्त होने के 3 माह के अन्दर कर लिया जायेगा ।

(vi) जिला अनुकम्पा समिति के अनुशंसा के आधार पर उपायुक्त से प्राप्त प्रस्ताव / दस्तावेज / प्रतिवेदनों की छानबीन कर अनुकम्पा नियुक्ति/विशेष अनुग्रह अनुदान हेतु पात्र होने की स्थिति में अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव के अनुमोदन से अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति दी जायेगी ।

उपायुक्त से त्रुटिरहित प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में यह कार्य, प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 2 माह के अंदर कर लिया जायेगा ।

(vii) स्वीकृत विशेष अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन संबंधित उपायुक्त को दी जायेगी। उपायुक्त द्वारा संबंधित व्यक्ति/आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान आवंटन / प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिन में कर दिया जायेगा।

(viii) अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति के पश्चात उपायुक्त द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जायेगा। अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक माह के अंदर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जायेगा ।

(ix) नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आवेदक के सभी प्रमाण-पत्रों की जाँच कर लिया जायेगा ।

(x) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति रिक्त पद के आरक्षण कोटि को ध्यान में रखे बिना की जा सकेगी, किंतु नियुक्त व्यक्ति आरक्षण की दृष्टि से जिस कोटि का होगा, उसी कोटि के पद के विरुद्ध नियुक्त माने जाएँगे और आरक्षण की दृष्टि से उसी कोटि में समायोजित माने जायेंगे। इस संदर्भ में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के नियमों का पालन किया जायेगा ।

(xi) जिला स्तर पर इस प्रकार के आवेदनों को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अथवा उपायुक्त द्वारा नामित जिला स्तर के किसी अन्य कार्यालय / शाखा द्वारा Process किया जायेगा ।

(xii) उक्त अनुग्रह अनुदान का भुगतान बजट मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, लघु शीर्ष 800- अन्य अन्य व्यय, उप शीर्ष 09- उग्रवादी घटनाओं में मारे गये पुलिसकर्मियों / 06- अनुदान, 49-ग्रामीण पुलिस/गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान विस्तृत शीर्ष आर्थिक सहायता मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

(त) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शर्त एवं अपेक्षा :-

i. वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के आश्रित परिवार के भरण पोषण के दायित्व का सफलता पूर्वक निर्वहन नहीं करने की स्थिति में नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा उसे पदमुक्त किया जा सकेगा ।

ii. प्रत्येक स्थापना प्रभारी उनके अधीनस्थ सरकारी सेवकों के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक 05 वर्ष पर विहित प्रपत्र में उनपर आश्रित सदस्यों के संबंध में सरकारी सेवक की घोषणा प्राप्त किया करेंगे। (प्रपत्र III)

iii. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर नियुक्त व्यक्ति को सेवा में योगदान कर लेना होगा। सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के बिना, योगदान की अवधि विस्तारित नहीं की जा सकेगी तथा समय पर योगदान नहीं करने की स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पुनर्विचार नहीं किया जायेगा ।

iv. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता / दत्तक पुत्री एवं विधवा पुत्र वधू विवाह के लिए इस शर्त के साथ स्वतंत्र होंगी कि वीरगति प्राप्त अर्द्धसैनिक बल के आश्रितों का भरण-पोषण भविष्य में सफलता पूर्वक वहन करेंगी। वीरगति प्राप्त अर्द्धसैनिक बल की आश्रित पत्नी/पति भी इस शर्त के साथ पुनर्विवाह हेतु स्वतंत्र होंगी / होंगे ।

v. नियुक्ति के बाद किसी भी स्थिति में अनुकम्पा समिति पुनर्विचार नहीं करेगी अर्थात् संवर्ग / पद परिवर्तन की सुविधा नहीं दी जा सकेगी ।

vi. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को उक्त अनुकम्पा नियुक्ति / विशेष अनुग्रह अनुदान हेतु राज्य का निवासी माना जायेगा। वीरगति प्राप्त अर्द्धसैनिक बल का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दिया जायेगा कि वीरगति प्राप्त अर्द्धसैनिक बल राज्य सरकार द्वारा तत्समय निर्धारित नीति के अनुसार झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी की परिधी में आते हैं अथवा नहीं ।

vii. राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत शहीद केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मी से तात्पर्य ऐसे अर्द्धसैनिक बल कर्मी से है जो देश की सीमा की सुरक्षा हेतु सीमा पर/Border पोस्ट पर तैनाती के क्रम में कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा सहित अन्य घटनाओं में वीरगति प्राप्त हुए हों ।

viii. राज्य निवासी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मी से तात्पर्य ऐसे अर्द्धसैनिक बल कर्मी से है जो वर्तमान प्रावधान के अनुसार झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी हों ।

(III) उक्त मामलों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति / विशेष अनुग्रह अनुदान भुगतान के संदर्भ में समय-समय पर यथावश्यक स्पष्टीकरण निर्गत करने की शक्ति गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में सन्निहित होगी ।

(IV) उपर्युक्त प्रावधान विभागीय संकल्प संख्या 1352, दिनांक 08.03.2019 के लागू होने की तिथि अर्थात् दिनांक 01.04.2018 के बाद घटित मामलों पर लागू माना जायेगा ।

4. उक्त पर विभागीय संलेख ज्ञापांक 2812, दिनांक 10.07.2025 के क्रम में राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24.07.2025 को संपन्न बैठक में मद संख्या 01 के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है।

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवाकाल में वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के आश्रित द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति/विशेष अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन पत्र।

सेवा में,

उपायुक्त/जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,

.....जिला।

निवेदनपूर्वक कहना है कि मैं वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल स्व०.....
..... की पत्नी/पति/पुत्र... .. हूँ। गृह
कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या दिनांक के तहत
अनुमान्य विशेष अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन कर रही हूँ/कर रहा हूँ। विवरणी
निम्नलिखित है-

1.	वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल का नाम	-	
2.	पदनाम / पद समूह	-	
3.	स्थाई निवास का पता	-	
4.	जन्म तिथि	-	
5.	केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल में प्रवेश की तिथि	-	
6.	मृत्यु की तिथि	-	
7.	सेवा की कुल अवधि	-	
8.	किस कार्य/ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हुई है।	-	
9.	झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी थे (हाँ अथवा नहीं)	-	

1.	आवेदक का नाम	-	
2.	पता	-	
3.	वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल से संबंध	-	
4.	जन्म तिथि	-	
5.	शैक्षणिक योग्यता	-	
6.	पद जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है	-	
7.	अपेक्षित विशेष अनुग्रह अनुदान की राशि	-	
8.	अन्य अर्हता (यदि कोई हो)	-	
9.	सरकारी सेवा में नियोजित अन्य आश्रित का विवरण (यदि कोई हो)	-	
10.	आरक्षण कोटि	-	
11.	झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी है (हाँ/नहीं)	-	

> परिवार के आश्रितों की सूची:-

क्र.	नाम	वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल से संबंध	उम्र/ जन्म तिथि	वर्तमान पता	नियोजन की स्थिति
1	2	3	4	5	6

घोषणा:-

1. मैं, एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरलिखित सूचनाएँ मेरे जानकारी के अनुसार सही है। यदि कोई उपरलिखित तथ्य भविष्य में सही नहीं पाया गया तो मुझे सेवा से हटा दिया जाएगा।
2. मैं, एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करूँगा / करूँगी। यदि कभी ऐसा प्रमाणित होगा कि आश्रित परिवार के किसी सदस्य के देखभाल सहजता पूर्वक नहीं करता/करती हूँ तो मुझे सेवा से हटा दिया जाएगा।

तिथि:-

आवेदक का हस्ताक्षर

अनु०- यथावंचित दस्तावेज

नाम:-

पता:-

प्रपत्र-II**भरण-पोषण शपथ पत्र ।**

मैं (आवेदक का नाम), ...
 (वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल का नाम) जो ग्राम/शहर.....
 थाना-..... जिला..... के
 स्थानीय निवासी थे तथा..... (केन्द्रीय अर्द्धसैनिक
 बल का नाम) मैं के पद पर कार्यरत
 थे एवं कर्तव्य के दौरान आतंकवादी हमला / उग्रवादी हिंसा/राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ तैनाती के दौरान
 दिनांक-.....को वीरगति को प्राप्त हुए हैं, के/की पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति/.....
 हूँ तथा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
 झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या दिनांक..... के तहत
 अनुकम्पा नौकरी/विशेष अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन कर रहा हूँ/कर रही हूँ।

2. स्व०..... के मेरे अतिरिक्त निम्न आश्रित हैं जिनका
 भरण-पोषण मेरे द्वारा सहज भाव से किया जाएगा।

क्र.	नाम	वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल से संबंध	उम्र/ जन्म तिथि	वर्तमान पता	नियोजन की स्थिति
1	2	3	4	5	6

3. मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि विशेष अनुग्रह अनुदान का
 उपयोग सभी आश्रितों के भलाई व विकास में करूंगा/करूंगी तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के
 पश्चात उपर्युक्त आश्रितों का समुचित भरण-पोषण करूंगा / करूंगी। यदि नियुक्ति के पश्चात उरोक्त
 किसी भी आश्रित के भरण-पोषण में किसी प्रकार की कमी पायी जाये तो मुझे सेवा से हटा दिये जाने
 का निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार स्वतंत्र होगा।

आज दिनांक. को बजे पूर्वा०/अप० मैं सब कुछ समझ कर
 अपना हस्ताक्षर करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर**नाम:-****स्थायी पता:-****वर्तमान पता:-****आधार संख्या (यदि हो)**

प्रपत्र-III

अनुकम्पा पर सरकारी सेवा में नियुक्त वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के आश्रित द्वारा सेवा के दौरान प्रत्येक 05 वर्ष पर की जाने वाली घोषणा।

मैं-..... पदनाम-.....कार्यालय/विभाग स्थान,
जिला..... एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी नियुक्ति वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल स्व० पता के आश्रित के रूप में अनुकम्पा के आधार पर हुई है। उक्त विरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के परिवार के निम्नांकित सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित है जिनका भरण पोषण मेरे द्वारा उचित प्रकार से किया जा रहा है:-

क्र.	नाम	वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल से संबंध	उम्र/ जन्म तिथि	पता
1				
2				
3				

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर-

सरकारी सेवक का नाम/पदनाम-

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सरकारी सेवक द्वारा वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के सभी आश्रित सदस्यों, जिनकी विवरणी निम्नवत है, का भरण-पोषण ठीक प्रकार से किया जा रहा है/ भरण पोषण नहीं किया जा रहा है।

क्र.	नाम	वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल से संबंध	उम्र/ जन्म तिथि	पता
1				
2				
3				

मुखिया/वार्ड सदस्य / पंचायत सचिव / जाँच पदाधिकारी का हस्ताक्षर-

नाम/पदनाम-

प्रपत्र-IV

वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के आश्रित को केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल अथवा केन्द्र सरकार से अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान नहीं किये होने से संबंधित घोषणा पत्र तथा अनापत्ति शपथ पत्र।

हमलोग स्व०.....पता, ग्राम-..... थाना-..... जिला.....
..... जो, ... (केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल का नाम) में
.....के पद पर कार्यरत थे तथा कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी हिंसा/आतंकवादी हमला
/ राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ तैनाती के दौरान दिनांक को वीरगति को प्राप्त हुए हैं, के परिवार के
सदस्य हैं। विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम	शहीद केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल से संबंध	उम्र/ जन्म तिथि	वर्तमान पता	नियोजन की स्थिति
1	2	3	4	5	6

(i) उक्त विवरणी में उल्लेख के अलावे उक्त वीरगति प्राप्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है।

(ii) गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या दिनांक..... /संकल्प संख्या..... दिनांक..... के तहत अनुमान्य अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आपसी सहमति से हमलोग..... को नामित किये हैं तथा उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त होने पर हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

एतद् द्वारा यह घोषणा करते हैं कि हम सभी लोगों में से किसी भी सदस्य को भारत सरकार अथवा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं किया गया है और हम सभी लोगों में से किसी के भी द्वारा भारत सरकार अथवा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के समक्ष अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन नहीं दिया गया है तथा राज्य सरकार से अनुकम्पा आधारित नौकरी प्राप्त होने के उपरांत किसी भी सदस्य द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु भारत सरकार अथवा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के समक्ष आवेदन नहीं दिया जाएगा।

यदि हमलोगों में से किसी भी सदस्य द्वारा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल अथवा भारत सरकार के अन्तर्गत अनुकम्पा आधारित नौकरी ग्रहण किया जाता है, अथवा इसके लिए आवेदन दिया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुकम्पा नौकरी समाप्त कर दिया जायेगा तथा इस शपथ पत्र के विरुद्ध जाने के लिए संबंधित सदस्य पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

हस्ताक्षर

1.

2.
